

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-121/2022-23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

मनोज यादव

-आदेश:-

21.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-11/2023, दिनांक-07.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेटरवार थाना कांड सं०-22/2023 दिनांक-04.02.2023, धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 21 MMDR Act एवं धारा 13 JMR के अन्तर्गत जप्त सोनालिका ट्रैक्टर चेचिस/इंजन सं०-J2QSH952649SM / 3106NS04H947974F31 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक-04.02.2023 को अंचल अधिकारी, पेटरवार एवं थाना प्रभारी, पेटरवार के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान एक ट्रैक्टर (जिसपर अवैध रूप से 100 घनफीट बालू लदा था) को ओरदाना चौक के पास पकड़ा गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदे बालू तथा वाहन के मालिक/चालक के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में पेटरवार थाना में कांड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रतिवादी को निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।



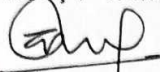
प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी मनोज यादव ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH09BB-5259, चेचिस/इंजन सं०-J2QSH952649SM/3106NS04H947974F31 के मालिक है और निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षी के द्वारा कभी भी अवैध रूप से बालू का परिवहन नहीं किया गया है। प्रश्नगत ट्रैक्टर कृषि एवं वाणिज्यिक वाहन है जो किसानों के लिए सेवा प्रदान करते हैं। पुलिस के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध धारा-379/414/34 भा०द०वि०, 21 MMDR Act के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है जो इस वाद में लागू नहीं होता है। सूचक के द्वारा मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह से भी इसका सत्यापन नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही बालू का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के बालू का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। विपक्षी के द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई भी ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिससे कि प्रश्नगत वाहन के विमुक्ति पर विचार किया जा सके। प्रश्नगत वाहन को अवैध रूप से बालू का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-11/2023, दिनांक-07.02.2023 को स्वीकृत करते हुए पेटरवार थाना कांड सं०-22/2023 दिनांक-04.02.2023 के अन्तर्गत जप्त सोनालिका ट्रैक्टर पंजीयन

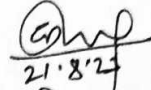
सं०-JH09BB-5259, चेचिस/इंजन सं०-J2QSH952649SM/3106NS
04H947974F31 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू को
राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है
एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



21.8.23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



21.8.23
समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।